VAID'S ICS LUCKNOW

IAS/PCS/PCS(J)

Estd :1988

डेली करेंट अफेयर्स मई –2019

(25th May)

Topic: For prelims and mains:

'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' अभियान :

समाचार में क्यों? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण भारत और ***भारत के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो*** **(Wildlife Crime Control Bureau- WCCB)** ने एक जागरूकता अभियान ***'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते'*** शुरू किया है। यह अभियान देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर संचालित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एसडीजी ***दूत दीया मिर्जा*** ने इस अभियान की शुरूआत की। वन्य जीवों को दुनिया भर में खतरे का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया भर के अवैध बाजारों में भारत की वनस्पति और जीव जंतुओं की मांग लगातार जारी है।
- वन्य जीवों के अवैध व्यापार के कारण कई प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पर है। दुनिया भर में संगठित वन्य जीव अपराध की श्रृंखलाएँ फैलती जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल यह उद्योग फल–फूल रहा है, बल्कि भारत में वन्य जीवों के अवैध व्यापार में काफी तेजी भी आई है।
- 'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' (Not All Animals Migrate by Choice) ***अभियान का उद्देश्य लोगों के मध्य जागरूकता का प्रसार करना और वन्य जीवों के संरक्षण तथा उनकी रक्षा,*** तस्करी रोकने एवं वन्य जीव उत्पादों की मांग में कटौती लाने हेतु जन समर्थन जुटाना है।
- ***'जीवन के लिये जंगल'*** (Wild for Life) के जरिये वन्य जीवों के गैर–कानूनी व्यापार पर रोक लगाने हेतु विश्वव्यापी कार्रवाई का पूरक है।
- अभियान के पहले चरण के अंतर्गत ***बाघ, पैंगोलिन, स्टार कछुआ और टाउकेई छिपकली*** को चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवैध व्यापार के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है।

- ***बाघ का उसकी खाल, हड्डियों और शरीर के अंगों के लिये, छिपकली का उसके मीट और उसकी खाल का परंपरागत दवाओं में, स्टार कछुए का मीट और पालने के लिये तथा टाउकेई छिपकली का दक्षिण-पूर्व एशिया खासतौर से चीन*** के बाजारों में परंपरागत दवाओं हेतु अवैध व्यापार किया जाता है।
- ***दूसरे चरण के अंतर्गत इससे अधिक खतरे वाली प्रजातियों को शामिल*** करते हुए तस्करी के अन्य मार्गों का पता लगाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UN Environment) ***एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण कार्य-सूची* (Agenda) *का निर्धारण करता है*** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत सतत् विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिये एक आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- इसकी ***स्थापना 5 जून, 1972*** को की गई थी।
- इसका मुख्यालय ***नैरोबी, केन्या* (Nairobi, Kenya)** में है।

***वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो* (WCCB) :**

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये पर्यावरण, ***वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक* (Multi-Disciplinary) *इकाई है।***

ब्यूरो का ***मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एवं जबलपुर में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयय गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय और रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला एवं मोरेह में पाँच सीमा ईकाइयाँ अवस्थित हैं।***

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wild Life Protection Act), 1972 की धारा 38 (Z) के तहत, ब्यूरो को निम्नलिखित कार्यों के लिये अधिकृत किया गया है–

- अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचनाध्जानकारी इक्कठा करने, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करने के लिये।
- एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिये।
- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने के लिये।
- संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता प्रदान करने के लिये।

- भारत सरकार को वन्यजीव अपराध संबंधित ***मुद्दों, जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, पर प्रासंगिक नीति व कानूनों*** के संदर्भ में सलाह देने के लिये।
- यह कस्टम अधिकारियों को ***वन्यजीव संरक्षण अधिनियम*** **(Wild Life Protection Act), CITES *और आयात–निर्यात नीति* (EXIM Policy) *के प्रावधानों*** के अनुसार वनस्पति व जीवो की खेप के निरीक्षण में भी सहायता व सलाह प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिये तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये यह अधिनियम बनाया गया था।
- यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन तथा उसके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया। इसे जनवरी 2003 में संशोधित किया गया तथा कानून के तहत अपराधों के लिये सजा एवं जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया।

इसमें कुल छह अनुसूचियाँ हैं :

अनुसूची–1

- इस अनुसूची में 43 वन्यजीव शामिल हैं। इनमें ***सूअर से लेकर कई तरह के हिरण, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉलफिन,*** कई तरह की ***जंगली बिल्लियाँ, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय*** पर पाए जाने वाले अनेक जानवर शामिल हैं।
- इसके अलावा इसमें कई जलीय जंतु और सरीसृप भी शामिल हैं। इस अनुसूची के चार भाग हैं और इसमें शामिल जीवों का शिकार करने पर ***धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 तथा धारा 62 के तहत दंड मिल सकता है।***

अनुसूची–2

इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं के शिकार ***पर धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और धारा 62 के तहत*** सजा का प्रावधान है। ***इस सूची में कई तरह के बंदर, लंगूर, साही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं।*** इनके अलावा अन्य कई तरह के जानवर भी इसमें शामिल हैं।

- इन दोनों अनुसूचियों के तहत आने वाले जानवरों का ***शिकार करने पर कम-से-कम तीन साल और अधिकतम सात साल की जेल*** की सजा का प्रावधान है।

- कम–से–कम जुर्माना ***10 हजार रुपए और अधिकतम जुर्माना 25 लाख रुपए*** है।
- दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन ***न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रुपए*** है।

अनुसूची-3 और अनुसूची-4

- इसके तहत वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है लेकिन इस सूची में आने वाले ***जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है।***

अनुसूची-5

- इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है, जिनका शिकार हो सकता है।

अनुसूची-6

- इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है।

क्या खास है इस कानून में:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्य जीवों को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध विधिक सुरक्षा दी गई है।
- संरक्षण और खतरे की स्थिति के अनुसार वन्य जीवों को अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में शामिल किया जाता है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके उपबंधों का अतिक्रमण करने संबंधी अपराध के लिये दंड का प्रावधान है।
- वन्यजीव अपराध हेतु प्रयोग में लाए गए किसी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।
- वन्य जीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिये देशभर में महत्त्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किये गए हैं।
- वन्य जीवों के अवैध शिकार और वन्यजीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधी कानून के प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।
- वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिये सीबीआई को अधिकार दिये गए हैं।

****

Topic: For prelims and mains:

BRS CONVENTIONS:

समाचार में क्यों? हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में बेसल संधि की 14वीं, रॉटर्डम संधि की 9वीं तथा स्टॉकहोम संधि की 9वीं बैठक सम्पन्न हुई. इस बार बैठक की थीम थी – "स्वच्छ ग्रह, स्वस्थ लोग रू रसायनों एवं अपशिष्ट का सही प्रबंधन - "Clean Planet, Healthy People: Sound Management of Chemicals and Waste"-

ये संधियाँ क्या हैं:

बेसल संधि :

- इस संधि को 22 मार्च 1989 को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था।
- इस पर कुल मिलाकर 187 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।
- हैती और अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं परन्तु स्वीकृत नहीं किया है।
- यह संधि 5 मई, 1992 से लागू है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश ले जाने की गतिविधियों को घटाना है. इसमें इसपर विशेष बल दिया गया है कि विकसित देशों से अल्प–विकसित देशों तक ये खतरनाक कचरे नहीं पहुँचे।
- जिन कचरों को यह संधि रोकती है उनमें रेडियोधर्मी कचरे को शामिल नहीं किया गया है।
- संधि का उद्देश्य उत्पादित कचरे की मात्रा और विषाक्तता को कम से कम करना है जिससे कि उनका प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो।
- बेसल संधि खतरनाक कचरे के सुचारू प्रबंधन के लिए अल्पविकसित देशों को सहायता देने का प्रावधान भी करती है।

रॉटर्डम संधि :

- यह संधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानिकारक रसायनों एवं कीटनाशकों की आवाजाही से संबधित है। यह संधि न केवल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देती है, अपितु देशों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है कि वे संधि–पत्र में अनुसूचित खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के आयात के विषय में उचित निर्णय लें।

स्टॉकहोम संधि :

- यह एक वैश्विक संधि है जो जैविक प्रदूषण तत्त्वों से सम्बंधित है। इसमें ***मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक और बहुत समय तक चलने वाले रसायनों के उत्पादन, प्रयोग, व्यापार*** विमुक्ति एवं भंडारण को सीमित करने तथा अंततोगत्वा समाप्त करने पर बल दिया गया है।

हाल की बैठकों के परिणाम :

बेसल संधि – इस संधि के बैठक में इन दो महत्त्वपूर्ण विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई और निर्णय लिए गये – ई–कचरे के बारे में तकनीकी दिशा–निर्देश तथा प्लास्टिक कचरे को "पहले से सूचित कर – "Prior Informed Consent – PIC" अनुमति लेने की प्रक्रिया में शामिल करना।

स्टॉकहोम संधि – इसकी बैठक में निर्णय लिया गया कि डायकोफोल/Dicofol को अनुसूची A (विलोपन) में बिना किसी छूट के रखा जाए. इसके अतिरिक्त कुछ छूटों के साथ परफ्लूरोओक्टेनोइक एसिड/Perfluorooctanoic acid को अनुसूची । में रखने का निर्णय हुआ।

रॉटर्डम संधि – इसकी बैठक में फोरेट और HBCD (hexabromocyclododecane) नामक दो नए रसायनों को उस सूची में जोड़ दिया गया जिसमें वर्णित रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पहले सूचित कर के सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

****

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

❖ IMBEX :

- ***अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के निकट*** **SIMBEX** नामक नौसैनिक अभ्यास का 26वाँ संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
- इस अभ्य***ास में सिंगापुर और भारत की नौसेनाएँ*** सम्मिलित होंगी।
- इस बार का अभ्यास पैमाने और जटिलता के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होगा।
- SIMBEX का full form है – "Singapore-India Maritime Bilateral Exercise"

❖ ***मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार:***

- ***जोखा अल्हार्थी*** **(Jokha Alharthi)** अपने उपन्यास ***'केलेस्टियल बॉडीज'*** (Celestial Bodies) के लिये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (Man Booker International Prize) जीतने वाली ***पहली अरबी लेखिका*** बन गई हैं।

- बुकर पुरस्कार के तहत प्राप्त ***50 हजार पाउंड यानी 44 लाख रुपए की धनराशि*** को अनुवादक और लेखक के मध्य विभाजित करना होता है। अल्हार्थी की अनुवादक ***अमेरिका की मर्लिन बूथ है, जो ऑक्सफोर्ड विश्विद्यालय में अरबी साहित्य पढ़ाती है।*** 'केलेस्टियल बॉडीज' मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा उपन्यास है।
- इस उपन्यास में ***तीन बहनों– मय्या, अस्मा और ख्वाला की कहानी है*** जो एक ***मरुस्थलीय देश*** में रहती हैं। उपन्यास में तीनों बहनों ***के 'दास्ता'*** के अपने इतिहास से उबर कर जटिल आधुनिक विश्व के साथ तालमेल बैठाने की जद्दोजहद का वर्णन किया गया है।

****

VAID'S
ICS
LUCKNOW
IAS/PCS/PCS(J)